

27.11.2024:-पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी का मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज हो गया। मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



01/25
सहायक जज
एवं उपजुडाधिकारी
इनुमानगड